

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0) हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी—(संजय कुमार गोंड), (उच्चतर न्यायिक सेवा)—UP06485



UPHM010010552024

Presented on : 20-02-2024

Registered on : 22-02-2024

Decided on : 07-09-2026

Sessions Case/432/2024

राज्य बनाम **रामफल** पुत्र आशाराम
निवासी ग्राम ऐंझी थाना मुस्करा,
हमीरपुर (उ०प्र०)।

मु०अ०सं०—285 / 2021

धारा—138(1)(b) विद्युत अधिनियम

थाना—एन्टी पावर थेफ्ट,

जनपद—हमीरपुर।

निर्णय

1. अभियुक्त रामफल पुत्र आशाराम के विरुद्ध थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा धारा—138(1)(b) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अजय कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा तहरीर प्रस्तुत करके इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है कि दिनांक 30.01.2021 को समय लगभग 12:10 बजे उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मैं अजय कुमार अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मुस्करा/इमिलिया, अपने स्टाफ पंकज वर्मा एवं महेश कुमार संविदाकर्मी के साथ विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत ग्राम ऐंझी मुस्करा में रामफल पुत्र आशाराम निवासी ऐंझी मुस्करा के परिसर पर पहुँचे तो पाया कि उक्त उपभोक्ता के संयोजन पर 315,320.00 बकाया हैं जिसे पूर्व में बकाये की स्थिति में विच्छेदित कर दिया गया था। जो मौके पर बिना बिल के भुगतान के जुड़ा पाया गया।
3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियुक्त रामफल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०—285 / 2021 अन्तर्गत धारा—138(1)(b) विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम में की गयी।
4. मामले के विवेचक ने विवेचना प्रारम्भ की तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, गवाहान के बयानात अंकित किये तथा बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम का आरोप दिनांक 15.05.2025 को विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और परीक्षण की माँग की और पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

6. अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0-1 अवर अभियन्ता अजय कुमार को परीक्षित कराया गया।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-1 अवर अभियन्ता अजय कुमार ने साक्ष्य दिया है कि दिनांक 30.01.2021 को समय लगभग 12:10 बजे उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार वह अपने स्टाफ टी0जी0-2 पंकज वर्मा व महेश कुमार संविदाकर्मी के साथ विद्युत चोरी रोको अभियान, राजस्व वसूली एवं कटिया चेकिंग अभियान के तहत ग्राम ऐंझी में पहुँचे तो रामफल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम ऐंझी, थाना मुस्करा संयोजन को चेक करने पर पाया कि उपभोक्ता के संयोजन पर रूपया 315,320/-रु0 की धनराशि बकाया है। उक्त संयोजन को पूर्व में बकाये की स्थिति में विच्छेदित कर दिया गया था, जो मौके पर बिना बिल भुगतान के जुड़ा हुआ पाया गया। उक्त साक्षी ने तहरीर **प्रदर्श क-1** को साबित किया है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी।

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0-1 अजय कुमार, अवर अभियन्ता को परीक्षित कराया गया। साक्षी ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। तत्पश्चात बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिता को धारा 294 द०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वीकार किया गया। अतः अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी।

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा कथन किया है कि गांव की पार्टीबन्दी के कारण फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। समस्त बकाया बिल जमा कर दिया है तथा सफाई साक्ष्य देने व अन्य कुछ कहने से इन्कार किया।

9. अभियुक्त रामफल की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0-26ख, प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी उक्त वाद में अभियुक्त है, शमन शुल्क एवं राजस्व शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। अब कुछ भी शेष नहीं है, जिसका सत्यापन विद्युत विभाग से कराया जाना आवश्यक है। अतः बाद सत्यापन मुकदमा शमन करने की याचना की गयी है। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा रसीदे एवं विद्युत वितरण खण्ड राठ द्वारा जारी पत्रांक सं0-4773 दिनांकित 23.02.2026 पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

10. आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से पत्रावली पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा जारी पत्रांक सं0-4773 दिनांकित 23.02.2026 एवं शमन शुल्क रसीद सं0-336635583426 मुव0-2000/-रु0 दिनांकित 20.02.2026 तथा राजस्व निर्धारण रसीद सं0-336176967061 मुव0-20,564/-रु0 दिनांकित 20.02.2026 की प्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं।

11. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।
12. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू०-1 अजय कुमार, अवर अभियन्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रामफल पुत्र आशाराम द्वारा अभियोग से सम्बन्धित शमन शुल्क मुव०-2000/-रुपये एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि मुव०-20,564/-रुपये दिनांकित 20.02.2026 को जमा कर दिया है। जिसकी रसीदे पत्रावली में कागज सं०-24क व 25क हैं तथा अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड राठ का पत्रांक सं०-4773 दिनांकित 23.02.2026 संलग्न है, जो कागज सं०-22क है जिसे उक्त साक्षी द्वारा प्रदर्श-ख-1 के रूप में साबित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मामले में अभियुक्त द्वारा समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है तथा मामला कम्पाउण्ड हो चुका है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जिसमें नियमानुसार समम शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा कर दिया गया हो तो वहाँ पर कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी और न ही अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आगे न्यायालय में चलाई जायेगी। इस प्रकार धारा 152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम का अपराध शमनीय है तथा शमनिंग हेतु मुव०-2000/-रुपये एवं राजस्व निर्धारण मुव०-20,564/-रुपये अभियुक्त द्वारा स्वीकृत रूप से जमा किया जा चुका है। असेस्मेन्ट के उपरान्त यदि कोई देय शेष होता है तो अभियुक्त नियमानुसार उसको अदा करेगा। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्त आरोप अन्तर्गत धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामफल पुत्र आशाराम को धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम एन्टी थेफ्ट हमीरपुर के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामों व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं और जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-07.09.2026

(संजय कुमार गोंड)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(आ०व०अधि०), हमीरपुर।

(आई.डी. UP06485)

निर्णय/आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-07.09.2026

(संजय कुमार गोंड)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(आ०व०अधि०), हमीरपुर।

(आई.डी. UP06485)